झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये श्रम नियोजन विभाग, तत्कालीन बिहार सरकार के परिपत्र संख्या–806, दिनांक 03.03.1982 को अधिसूचना संख्या–3389, दिनांक 22.09.2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया जिसके अनुसार जिला विशेष के संदर्भ में वैसे व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति माने जायेंगे जिनका स्वयं का अथवा जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, वासगीत आदि पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज हो।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–4536, दिनांक 08.08.2002 तथा 4737, दिनांक 19.08.2002 के द्वारा स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया, किन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाएँ डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 की सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा संकल्प संख्या–4737, दिनांक 19.08.2002 को निरस्त कर दिया गया, साथ ही "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश निर्धारित करने को राज्य सरकार को स्वतंत्र किया गया।

3. उक्त न्याय निर्णय की कंडिका–57 निम्नरूप से उद्धृत है :–

"However, it is open to the State of Jharkhand to redefine the 'local persons' and to re-prescribe the guidelines for determination of 'local persons' taking into account the relevant history of the State, such as, reorganization as taken from time to time; emigration of persons; as taken place during the last fifty years, settlement of refugees etc., as discussed above."

4. इस संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या–7132, दिनांक 30.12.2002 द्वारा एक समिति गठित की गई थी और उसे संकल्प संख्या–3928, दिनांक 27.06.2008 द्वारा पुर्नगठित भी किया गया, किन्तु मतैक्य नहीं हो पाने के कारण "स्थानीय व्यक्ति" की परिभाषा अबतक स्पष्ट नहीं हो पायी।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सुझाव के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में, मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प

संख्या 1560, दिनांक 23.12.2010 द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय निम्न उप समिति विचार कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी :--

(i) श्री सुदेश कुमार महतो, उप मुख्यमंत्री

(ii) श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री

(iii) श्री बैद्यनाथ राम, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग

6. मंत्रिमंडलीय उप समिति को सचिवालीय सहायता कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

7. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

aditya 7/4/2011

(आदित्य स्वरूप)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 का॰–1885/राँची, दिनांक 9/4/11

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

aditya 7/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 का॰–1885/राँची, दिनांक 9/4/11

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

aditya 7/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 का॰–1885/राँची, दिनांक 9/4/11

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

aditya 7/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।